42/2018 किशनदास बनाम तहसीलदार सोजत

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2019	वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का अपनी बहस में मुख्य उज्र यह रहा कि जैर अपील विवादित आराजी उनकी पुश्तैनी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट के पिता भंवरदास फौत होने पर जो फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें अपीलाण्ट का नाम दर्ज न कर अपीलाण्ट के स्थान पर पपीया पुत्र भंवरदास दर्ज कर दिया, जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम किशनदास है, जो उसकी अन्य राजस्व रेकर्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजात् से साबित है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त कराने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा स्वयं का नाम किशनदास होना बताया, जिसके समर्थन में शैक्षणिक दस्तावेज ग्राम छितरिया में स्थित कृषि भूमि की जमाबन्दी की प्रतियां बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की, जिसमें अपीलाण्ट का नाम किशनदास पुत्र भंवरदास दर्ज है। प्रकरण में जैर अपील नामान्तरकरण भंवरलाल साद फौत होने पर दायर किया गया है, जिसकी पुस्त पर न तो सजरा खानदान अंकित है तथा न ही कोई वारिशान संबंधी तथ्य अंकित है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि जैर अपील नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व मृतक भंवरलाल साद के विधिक वारिशान बाबत समुचित जांच नहीं की गई है। इस स्थिति में प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम चण्डावल तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 110 व 111 पर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार सोजत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक भंवरलाल साद के विधिक वारिशान की जांच कर उन्हे समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। **अति0 जिला कलक्टर, पाली** अति. जिला कलेक्टर, पाली	